भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 885

26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

पुनर्वास महानिदेशालय की स्वरोजगार योजनाएं

885. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पुनर्वास महानिदेशालय की स्वरोजगार योजनाओं जैसे कोयला लदान, तेल उत्पाद एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों से लाभान्वित हुए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के बीच उक्त योजनाओं के प्रति जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के इन अवसरों तक पहुंच बनाने और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में आ रही चुनौतियों अथवा बाधाओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार उद्यमों की प्रभावकारिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) की स्वरोजगार योजनाओं जैसे कोयला लदान, तेल उत्पाद एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों से लाभान्वित हुए भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की संख्या का ब्योरा अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है।

(ख) स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित सभी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) एवं नीतिगत दस्तावेज़ों को पुनर्वास महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgrindia.gov.in

पर अपलोड किया जाता है। डीजीआर की समर्पित वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों अर्थात् **ट्विटर (एक्स) एवं फेसबुक** पेज पर नियमित अपडेट्स एवं उपलब्धियों को हाइलाइट किया जाता है। डीजीआर की स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित विज्ञप्तियों को सभी सेवारत अधिकारियों/जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जेसीओ) एवं अन्य रैंकों (ओआर) तक सूचना प्रसारित करने के लिए सभी सेना मुख्यालयों एवं रेजिमेंटल अभिलेख कार्यालयों को भेजा जाता है। डीजीआर द्वारा अखिल भारत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ईएसएम रोजगार सेमिनारों/रोजगार मेलों का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के जरिए एवं साथ ही साथ क्षेत्रीय जिला सैनिक बोर्ड/राज्य सैनिक बोर्ड और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्यालयों से संपर्क करके व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(ग) पहुंच को सरल बनाने के लिए प्रत्येक स्वरोजगार योजना के समर्पित लिंक डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों, योजना के दिशानिर्देशों और संबंधित अधिकारी के संपर्क विवरण तथा ईमेल आईडी की जानकारी दी जाती है। इस पर भूतपूर्व सैनिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक शिकायत कॉलम भी उपलब्ध है। डीजीआर द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ईएसएस रोजगार सेमिनारों/रोजगार मेलों का राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के माध्यम से तथा स्थानीय जिला सैनिक बोर्ड/राज्य सैनिक बोर्ड और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्यालयों से संपर्क करके व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(घ) स्वरोजगार योजनाओं को इस तरीके से नियोजित किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों को प्रदाता संगठन द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सीधा लाभ मिल सके।

"पुनर्वास महानिदेशालय की स्वरोजगार योजनाओं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वर्षों में डीजीआर की स्वरोजगार योजनाओं से आन्ध्र प्रदेश में लाभान्वित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या से संबंधित विवरण

क्र.सं.	योजना	2019	2020	2021	2022	2023
1.	सीओसीओ (कोको) योजना के लिए प्रायोजित (पेट्रोल पम्प)	-	04	-	-	-
2.	तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन के लिए पात्रता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना (पेट्रोल पम्प/एलपीजी)	04	-	02	-	01
3.	कोयला लदान और परिवहन योजना	03	02	-	-	-
4.	पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसी	-	50	41	19	20
	कुल	07	56	43	19	21

*****